

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. SACHIN SHARMA
PERSONAL GUARANTOR OF ODICEA DISTRIBUTION TECHNOLOGIES
PRIVATE LIMITED
(U52599DL2018PTC343068)**

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of debtor/personal guarantor	Mr. Sachin Sharma
2.	Address of the debtor/personal guarantor	684, Second Floor, Sector-23, Gurgaon, Haryana-122017
3.	Details of order admitting the application	IA No. 1113/ND/2025 in IB-754/ND/2024 order dated 12.08.2026 (order uploaded on 18.08.2026)
4.	Particulars of the Resolution Professional with whom claims are to be registered	Mr. Atul Mittal IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-2018/10762 AFA Valid up to: 31.12.2026
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	Address: 174, BALCO Apartments, Plot No.58, IP Extn., Patparganj, Delhi-110092 Email: atulmittalip135@gmail.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	Address: 163, BALCO Apartments, Plot No.58, IP Extn., Patparganj, Delhi-110092 Email: pg.sharmasachin@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	10.09.2026
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at:	“FORM B” Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon’ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench – Court II, has ordered the commencement of a Personal Insolvency Resolution Process against Mr. Sachin Sharma, Personal Guarantor of Odicea Distribution Technologies Private Limited on **12.08.2026**.

The creditors of Sachin Sharma, Personal Guarantor of Odicea Distribution Technologies Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10.09.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or by post.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Atul Mittal", with a horizontal line underneath.

Mr. Atul Mittal

Resolution Professional

In the matter of Mr. Sachin Sharma (Personal Guarantor)

IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-2018/10762

AFA Valid till 31.12.2026

Place: New Delhi

Date: 22.08.2026

क्र.सं.	शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	शाखा : नयनपुर ऋणी/बंधककर्ता : श्री रघुवीर सिंह रमोला पुत्र श्री कलम सिंह, पता-1, एकाटा विहार, बालावाला रोड, नथुआवाला, देहरादून-248001, पता-2, तिनसोली, पो.ओ. नागजई, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड-246419।	बंधक सम्पत्ति जिसका खाला नंबर 405 (फसली वर्ष 1397-1402), खसरा नंबर 569 मिन, क्षेत्रफल 85.47 वर्ग मीटर, जो मौजा नथुआवाला, परगना परवादात, तहसील और जिला देहरादून में स्थित है। सीमाएं-पूद-4 दिक्क सिंह का प्लॉट (साइड माप 40 फीट), बहिर्भाग - अन्य का प्लॉट (साइड माप 40 फीट), उत्तर - 15 फीट चौड़ी अपनी सड़क (साइड माप 23 फीट), दक्षिण - अन्य की भूमि (साइड माप 23 फीट)। इसका विवरण: सेल डीक के अनुसार: बही नंबर 1, जिल्द 8598, पेज 345 से 372, क्रमांक 5638 जो दिनांक 20.09.2023 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून, द्वितीय में पंजीकृत है। जो श्री रघुवीर सिंह रमोला (उधारकर्ता और बंधककर्ता), पता-1, एकाटा विहार, बालावाला रोड, नथुआवाला, देहरादून-248001, पता-2, पुत्र श्री कलम सिंह, तिनसोली, पोस्ट ऑफिस- नागजई, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड-246419।	06.06.2026	₹0 6,42,011.00 + डीआई एवं अन्य शुल्क, 30.04.2026 से अतिरिक्त ब्याज
2.	शाखा : पल्टन बाजार एवं अजबपुर कला, देहरादून ऋणी : श्री सोहन सिंह रातेला पुत्र श्री सोहन सिंह रातेला, सह-ऋणी एवं बंधककर्ता: श्रीमती मधु मेनका पत्नी श्री सोहन सिंह, गारटर : श्री सोहन सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, समी का पता -1, मकान नंबर 13बी/15, कान्हा रोड, पराडाइज अपार्टमेंट के पास, पो.ओ.-हाथीबड़कला, देहरादून-248001, 2 मकान नंबर 15 बी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून-248001।	बंधक सम्पत्ति पर बना-बनाया घर जिसका सम्पत्ति नंबर 91 (पुराना नंबर 13बी/15), जो कालिदास रोड, जिला देहरादून में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 232.11 वर्ग मीटर है। सीमाएं-पूद-4 10 फीट चौड़ा रास्ता (साइड माप 38 फीट), दक्षिण - श्री खोसला की सम्पत्ति, (साइड माप 38 फीट), उत्तर - श्री बहादुर सिंह रातेला की सम्पत्ति, (साइड माप 65 फीट 9 इंच), दक्षिण - श्री मोहन सिंह रातेला की सम्पत्ति, (साइड माप 65 फीट 9 इंच)। निपट डीक के अनुसार: बही नंबर 1, जिल्द 321, पेज 337 से 362, क्रमांक 550 जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय पुरीय देहरादून में पंजीकृत है, जो श्रीमती मधु मेनका पत्नी श्री सोहन सिंह (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), पता-1, मकान नंबर 13-बी, कालिदास रोड, पराडाइज अपार्टमेंट के पास, पो.ओ.-हाथीबड़कला, देहरादून-248001, पता-2, मकान नंबर 15 बी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून-248001।	15.06.2026	₹0 94,31,676.70 + डीआई एवं अन्य शुल्क, 30.04.2026 से अतिरिक्त ब्याज
दिनांक: 22.08.2026		स्थान - देहरादून	प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक	



AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

कॉर्पोरेट ऑफिस: कनकविया रोड स्ट्रीट, एबी मॉडल, ए 506-610, अंबेरी रोड, अंबेरी ईस्ट, महाराष्ट्र-400093
 न्यायिक कार्यालय: आस्ट्रेलिया के प्रभुत्वमधील एवू पर्सनिंगल तथा प्रभुत्वमधील इन्वर्स्ट अडमिनिस्ट्रेशन, 2002 ("अडमिनिस्ट्रेशन") तथा प्रभुत्वमधील हिल्ट (सर्वन) निवयम, 2002 ("निवयम") के प्रावधानों के अंतर्गत

आधेतरासालीक अडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एन्डवर्ड फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अडमिनिस्ट्रेशन की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवयम 3 के तहत, अडमिनिस्ट्रेशन की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं (जो उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का पुर्णपूर्ति नमान करने का आह्वान किया है। आधेतरासालीक का यथोचित रूप में पाना घटाना छिपे जा उधारकर्ताओं (जो मांग नोटिस(ओं) की तामीनी से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामीनी निवयम के अनुसार शिवाकार तथा प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस(ओं) की विषय-वस्तु यन्तु से उद्धृत की गई है:

उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. गोमा मेल्ल प्रोडक्ट कंपनी	19-08-2026 से, 21,42,566.35/- (रुपये इक्कीस लाख बीस हजार पचास और पैंतीस पैसे केवल) दिनांक : 19-08-2026 तक
2. रोहासत	
3. प्रहलास सिंह	
4. केला. लैन नंबर DEL000000028820	

अवध संपत्ति का विवरण बंका रही माई संपत्ति

संपत्ति क्षेत्रफल 366 वर्ग गांव (अर्थात 12.25 मरला) मुस्ततील में 113 किल्ला नं 2 (2-2), 3/1 (5-7) गांव जमीनी पलवल हरियाणा पलवल हरियाणा पिनकोड 121102. पूर्व-सड़क, पश्चिम- सुभाष की संपत्ति, उत्तर- कश्मीरी की संपत्ति, दक्षिण- रोहतासी की संपत्ति

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस आधारकृत मांग राशि का भुगतान द्वारा प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों में भीतर लागू व्याज, उचितरिक्त व्याज, बाउंस बिल्लू, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एफपीएल गुरुसुरित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिवरी रखी गई सुरित संपत्ति(ओं) को के कारण प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के खिलाफ एक सुरित ऋण है। यदि उधारकर्ता(ओं) निर्धारित समय के भीतर अपनी नवीनीकरण का पूरा निहंदन करने में विफल रहते हैं, तो एफपीएल सुरित संपत्ति(ओं) को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का इकदार होगा, जिसमें विक्री के माध्यम से या अधिनियम और इसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने हस्तांतरण करने और भुगतान प्राप्त करने शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। AFPL को विक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरित परिसंपत्ति(ओं) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरित परिसंपत्ति(ओं) की विक्री के द्वारा, एफपीएल को बचवा राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिवरी रखी गई संपत्तियों का मूल्य षष्ठ को देय बचवाया राशि को कवर करने के लिए अप्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एफपीएल के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरित परिसंपत्तियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और/या अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एफपीएल की पूर्व लिखित सममति के बिना सुरित परिसंपत्तियों का निपटारा या उनसे निपटने या विक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरित परिसंपत्ति को स्थानांतरण करने से रोकथाम/निषेध किया जाता है और उपरोक्त अनुपालन न करना उद्य अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि यादों पर इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता. हरियाणा
दिनांक: 23.09.2023

हस्ता / - अंशित नोट - प्राधिकृत अधिकारी
अधिक निष्कर्षण - प्राधिकृत निदेशक

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

दबावग्रस्त आस्ति प्र
सी-34, तीसरी मंजिल, डीडीए शॉपिंग-सह-कार्यालय
सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 ईमेल: ch

[illegible]

बिक्री सूचना	
जानता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जिसका कर्ण तथा प्रतिभूत हित प्रदर्शन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से निम्न तिथियों पर	
anet.com), (संपर्क नंबर 8291220220, ईमेल: support.BAANKNET@psball) के विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए सीधे या चार	
	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण
न, चंदन नगर,	आईटीईएस/आईटी पार्क, टीबीसी आईटी पार्कह, प्लॉट क्षेत्रफल 12110.31 वर्ग मीटर (सेक्टर-35 गुडगांव के आंतरिक क्षेत्र की प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत आने वाले 763.64 वर्ग मीटर क्षेत्र को छोड़कर) जो कि 6/22/2, 20/3/2/2, 18/2, 18/1, 19/2/2/3, 22/1/1, 19/2/2/2, 20/3/2/1, 19/2/2/1, 22/1/2, 26 में पड़ता है। (औद्योगिक क्षेत्र), राजस्व संसदा गांव बैमपुर खटोला, सेक्टर-35, गुडगांव, हरियाणा, 122004 में स्थित, मैसर्स एमवीएल लिमिटेड के नाम पर (सांकेतिक कब्जा) (बैंक को जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई ज्ञात ऋणभार नहीं है) एक एसए (एसए/326/2024) एमवीएल ग्राहक संघ द्वारा दायर किया गया है और डीआरटी आदेश दिनांक 30.09.2024 के अनुसार संपातित खरीदार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा और संपातित खरीदार परियोजना को पूरा करेगा और फ्लैट खरीदार खरीद समझौते के अनुसार संबंधित इकाइयों का कब्जा आवंटित को सौंप देगा।
न, नई दिल्ली-	(i) खेवट/खाता संख्या 18/13 मिनट, खसरा संख्या 10/12/ (8-0) में 20 में 8 कनाल भूमि, गांव मंडौर, तह और जिला अंबाला (हरियाणा) में ईतकाल संख्या 2912 के तहत बिक्री विलेख दिनांक 02.11.1988 के तहत मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स के नाम पर। (ii) खेवट/खाता नंबर 383/424, 384/425 के तहत खसरा नंबर 9/14/2/2 (0-18) 9/15/1(0-18) 9/15/2 (4-7) 9/14/1/2 (6-4) के तहत कनाल 07 मरला भूमि, गांव मंडौर, जरीट रोड पर स्थित, तह और जिला अंबाला (हरियाणा), ईतकाल नंबर 2912 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 17.02.1989 द्वारा मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स के नाम पर (iii) खेवट/खाता संख्या 78/77, 86 के तहत 9 कनाल 8 मरले की भूमि, खसरा संख्या 9/16/2 (3-14) 9/17-5(3-15) में ग्राम मंडौर, तह और जिला अंबाला (हरियाणा) में ईतकाल नंबर 2912 के तहत विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1980 के तहत जरीट रोड पर स्थित, मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स के नाम पर (सांकेतिक कब्जा) (बैंक को जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई ज्ञात ऋणभार नहीं है)
134003 पिन-134109 ट लिमिटेड के के निदेशक) यकुला, पिन- 8 पंचकुला, कास्टिंग की	

शोध शाखा

परिसर, मूलचंद अस्पताल के
9208@canarabank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, "जैसा है जहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के आधार पर निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री करके ई-बोर्ड के ई-बोर्ड में जमा करनी होगी।

कौल देनवागियां (रु.):	नीलामी की तिथि एवं समय
आश्रित मूल्य (रु.):	संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है
ईएमडी (रु.):	तिथि एवं समय
वृद्धि राशि (रु.):	संपर्क व्यक्ति का नाम
14,40,88,075.05 (रुपए पाँच सौ चौदह लाख चालीस लाख अड़सठ हजार अड़सठ हजार पचहत्तर मात्र) 30.04.2026 तक के देय के साथ-साथ केनरा बैंक की एसएमएल पर देय ब्याज और लागत तथा रु. 10,15,911.00 (रुपए चालीस करोड़ अड़सठ हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) 29/01/2014 से 29/01/2014 तक के ब्याज और युको बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा को देय ब्याज लागत सहित	14.09.2026 समय: 11.30 बजे पूर्वा. से 01.30 बजे अप. तक (बिक्री के समाप्त तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असंमित विस्तार सहित)
रु. 53,00,00,000/-	11.09.2026
5,30,00,000/- ईएमडी 13.09.2026 05.00 बजे अप. तक जमा करनी होगी	समय: 11.30 बजे पूर्वा. से 03.30 बजे अप. तक
रु.10,00,00,000/-	श्री आशुतोष कुमार, प्रबंधक (मो.-9006158272), श्री अभिषेक हिंदुनिया, मुख्य प्रबंधक (मो.-9408697349),
07.2026 तक रु. 11,13,02,30,292/- ए एक हजार एक सौ तेरह करोड़ दो लाख हजार दो सौ बानवे मात्र) साथ ही केनरा की एसएमएल शाखा को देय ब्याज और त तथा रु. 176,00,00,000/- (रुपये सौ छिहत्तर करोड़ मात्र) 31.07.2026 अतिरिक्त ब्याज और लागत आदि सहित तीस स्टेट बैंक को देवायुधस्त आरित ती शाखा, चंडीगढ़ को देय है	14.09.2026 समय: 11.30 बजे पूर्वा. से 01.30 बजे अप. तक (बिक्री के समाप्त तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असंमित विस्तार सहित)
रु. 3,30,00,000/-	11.09.2026
33,00,000/- ईएमडी 13.09.2026 को 05.00 बजे अप. तक जमा करनी होगी	समय: 11.30 बजे पूर्वा. से 03.30 बजे अप. तक
रु. 5,00,000/-	श्री आशुतोष कुमार, प्रबंधक (मो.-9006158272), श्री अभिषेक हिंदुनिया, मुख्य प्रबंधक (मो.-9408697349),

कृते केनरा बैंक

प्राधिकृत अधिकारी